भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 683 का उत्तर

कुछ मार्गों पर रेलगाड़ियों का निजीकरण

683. **श्री दीपक अधिकारी (देव):**
श्री नामा नागेश्वर रावः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री मनोज कोटकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री जुएल ओरामः
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डीः
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसेः
एडवोकेट अजय भट्टः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री संजय काका पाटीलः
सुश्री प्रतिमा भौमिकः
एडवोकेट अदूर प्रकाशः
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने एक राजस्व साझाकरण मॉडल के आधार पर निजी कंपनियों को 150 आधुनिक रेलगाड़ियों को चलाने का अवसर देने की पेशकश की है/पेशकश करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अपेक्षित लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन रेलगाड़ियों की शुरुआत के बाद सरकार को कितने निवेश की अपेक्षा है;
(ग) उन मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस उद्देश्य हेतु चिह्नित किया गया है;
(घ) क्या सरकार ने निविदा प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) निजी कंपनियों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली तकनीक और सेवाओं का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या रेल अधिकारियों से बनी एक अधिकार प्राप्त समिति ने निविदा प्रक्रिया की प्रविधियों को अंतिम रूप दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या इन गाड़ियों का रखरखाव, सुरक्षा, किराया और ठहराव निजी कंपनियों द्वारा तय किया जएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): जी हां। रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल नेटवर्क को शामिल करते हुए विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी सहित निजी संचालकों द्वारा यात्री गाड़ियों के संचलन हेतु अन्य बातों के साथ-साथ शर्तों एवं निबंधनों पर परामर्श के लिए एक

वर्ष की अवधि हेतु वर्ष 2019 में सचिवीय समूह (जीओएस) का गठन किया गया। जनवरी, 2020 की समाप्ति तक सचिवीय समूह की पांच बैठकें आयोजित की गई हैं। हितधारकों से प्रतिक्रिया मंगवाने के लिए अर्हता हेतु मसौदा अनुरोध और रियायत करार मसौदे को नीति आयोग और भारतीय रेल की वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है। इस संबंध में विवरणों एवं अन्य तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

******